



कार्यालय कलेक्टर (स्थापना शाखा) जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक/4960 /वि.लि.(1)/2026

जबलपुर दिनांक १० जुलाई, 2026

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.07.2026 में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में राजस्व स्थापना जिला जबलपुर अन्तर्गत पदस्थ निम्लिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य) को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यंत माल जमादार/दफ्तरी/बस्तावरदार के पद पर सातवे वेतनमान लेवल-2 रुपये 16100-50900/- में पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	शासकीय सेवक का नाम
1	कु. रोशनी बैगा
2	श्री नारायण प्रसाद कोरी
3	श्री मुकेश कुमार कुंडे
4	श्री मुनीन्द्र मिश्रा
5	श्री कालीचरण
6	श्री राजाराम पटेल
7	श्री विजय कुमार सोनी
8	श्री कमल कुमार केवट
9	श्री दीपक कुमार रैकवार
10	श्री अनिल कुमार सेन
11	श्री शैलेन्द्र कुमार बर्मन
12	श्री फिरोज खान
13	श्रीमती सरोज तिवारी

2- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

3- इस आदेश के जारी होने के पश्चात यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 10 के तहत पदोन्नति हेतु विचारण अवधि में यदि कोई अनुपयुक्तता परिलक्षित होती है, तो यह आदेश संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

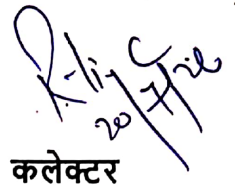
5- उपरोक्त समस्त पदोन्नतियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधधीन होगी।

6- समस्त पदोन्नत किये गये शासकीय सेवक वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थ है उसी कार्यालय में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। समस्त पदोन्नत लोक सेवकों को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है। नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

7- जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

8- यदि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण चल रहा है अथवा प्रकाश में आता है तथा वह निलंबित है, तो ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में यह पदोन्नति आदेश शून्य प्रभावी माना जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


20/7/20

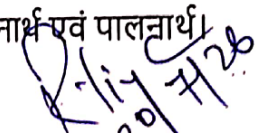
कलेक्टर

जबलपुर(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ 4960
/वि.लि.(1)/2026
प्रतिलिपि:-

जबलपुर दिनांक 10 जुलाई, 2026

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, 220 राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
5. अपर कलेक्टर ग्रामीण/शहर-1/शहर-2 जिला जबलपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा/जिला नाजरात कार्यालय कलेक्टर जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी सर्वसंबंधित..... कलेक्ट्रेट जबलपुर को सूचनार्थ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. तहसीलदार समस्त, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. स्टेनो टू कलेक्टर/अधीक्षक कलेक्ट्रेट जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
12. सर्वसंबंधित.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर

जबलपुर(म.प्र)